

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषय के आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	<b>RAMESH CHANDER BAIRWA -</b> (LECT. GEOGRAPHY) GSSS KALI PAHADI (218111) DAUSA	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/ 2022-23/145 दिनांक 18.02.2022	एसीपी आदेश दिनांक 18.02.2022 में क्रम संख्या 14 पर कॉलम संख्या 11 में अंकित 21-12-2017 के स्थान पर 24-12-2017 पढा जावें।
2	<b>SUBHASH CHANDRA VERMA -</b> (LECT.GEOGRAPHY) GSSS CHOMU, JAIPUR	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/518 दिनांक 28.03.2022	वेतन व्यवस्था ओदश दिनांक 28.03.2022 में क्रम संख्या 2 पर कॉलम संख्या 3 में अंकित माह अक्टूबर 2021 से फरवरी 2021 तक के स्थान पर माह अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक पढा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक: 29/03/2022

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/ 679

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर